19.02.2020

पत्रावली पैश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा आज सुनवाई दौरान उपस्थित होकर इस मौजूदा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट में अब आगे कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए प्रमाण में आदेशिका पर नोट प्रेस का अंकन कर हस्ताक्षर किये गये ।

ऐसी स्थिति में इस प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा में अब आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही रह जाती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र प्रार्थी के नोट

प्रेस किये जाने से इसी स्तर पर ड्रोप किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]